COURT FEE INDIA भारत TEN RUPEES दस रुपये

COURT FEE INDIA भारत TEN RUPEES दस रुपये

(51)

निगरानी प्रकरण 1821/2012

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक R-1821-I/12

सुनिताबाई पुत्री रमेशचन्द्र पति श्री मुकेशकुमार, जाति – पाटीदार, निवासी – ग्राम बेहरावल

— आवेदिका

विरूद्ध

1– सुनिलकुमार पिता रमेशचन्द्र, जाति कुल्मी, निवासी ग्राम सेमलिया जिला शाजापुर

2– नरेन्द्रकुमार पिता रमेशचन्द्र पाटीदार

3– रमेशचन्द्र पिता श्री बद्रीप्रसाद, जाति कुल्मी पाटीदार निवासी – सेमलिया तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर

— अनावेदकगण

25-5-2012

150
25/5/2012

विषय :– न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा प्रकरण कमांक 27अपील/2011–12 में प्रदत्त आदेश दिनांक 28–04–2012 से असंतुष्ट व दुखी होकर म.प्र.भू.स. की धारा 50 के अंतर्गत पूनरीक्षण याचिका।

22.6.12

माननीय महोदय,

प्रार्थी/आवेदिका की ओर से निम्नलिखित आधारों पर पूनरीक्षण याचिका प्रस्तुत है :–

— प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य —

यह कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार कालापीपल के समक्ष दिनांक 19–04–2011 को धारा 250, भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, कि प्रकरण कमांक 36/अ–27/08–09 में पारित आदेश दिनांक 21–11–2009 के अनुसार उसको बटवारे में कृषि भूमि अन्य भाईयों के साथ में प्राप्त हुई, उसके अनुसार उसे भूमि सर्वे नं. 30/16 रकबा 0–206 हैक्टर व 35/4 रकबा 0–381 हैक्टर का सीमांकन कर कब्जा दिलाया जावें, उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 10–10–2011 को सुनिलकुमार रेस्पाडेंट के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया गया, उसमें प्रार्थी को उपरोक्त कृषि भूमि पर कब्जा देने का आदेश पारित किया गया, एक पक्षीय आदेश के विरूद्ध सुनिलकुमार द्वारा कोई अपील नहीं की गई, और ना ही उसे निरस्त कराने का आवेदन दिया गया। सुनिलकुमार द्वारा प्रकरण में आपत्ति प्रस्तुत की गई, कि

श्रीमती सुनीताबाई | सुनीलकुमार

XXIX(a)-BR(H)-11

(5)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(51)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 1821 / I / 12 जिला - बुरहानपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी S.D.O. बुरहानपुर के प्रकरण क्रमांक 27/अपील/11-12 में पारित आदेश दिनांक 28.4.12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर बुरहानपुर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर, बुरहानपुर के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	